

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

अ
हुक्म
में

इलाहाबाद इपबलर अधिवक्ता बने हो
परसा कनाद नैक रोगर वकील

20-12/17

क्रिया- प्रो फ्र

1/18

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
विपक्षी से - 1 से 6, 9, 13 से 15 के वाक्यांशों का प्रत्यक्ष
सूचना उपस्थित। विपक्षी से - 7, 8, 10, 11, 12, 16 की अपेक्षा
तामिल प्रामुखता प्रस्तावना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित
किया गया। पत्रावली वाले वाक्यांश दि 20-3-18 को
पेश हो।

3/18

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी से
7, 8, 10, 11, 12, 16 का तल्लजाना प्रस्तुत नहीं। अन्तिम अपसर प्रदान
किया जाता है पत्रावली वाले वाक्यांश दि 11/5/18 को पेश हो।

5/6/18

पत्रावली - आय आपके द्वार अभियान मु. वेरा पेश हुई। प्रार्थी
अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व पत्रे सहित तल्लजाना पेश नहीं। अन्तिम
अपसर प्रदान को प्रदान किया जाता है पत्रावली दि 24/7/18
को पेश हो।

24/7/18

24.07.2018

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
नियत सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर इस
मौजूदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.
आर.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने
का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट
प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत
कराने पत्थरगढी आराजीयात, में अब आगे कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थी
का प्रार्थनापत्र प्रार्थी के नोट प्रेस किये जाने से
इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित
किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल